

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

सोनी देवी बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण  
किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 599 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
26/12/2025	<p>प्रार्थीया सोनी देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम भढाडर तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम भढाडर पटवार हल्का भढाडर तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 363 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी हणमानाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि सोनी देवी पत्नी हनुमान प्रसाद है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि सोनी देवी पत्नी हनुमान प्रसाद अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी हणमानाराम के स्थान पर सोनी देवी उर्फ श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी हनुमान प्रसाद दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/166 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भढाडर पटवार हल्का भढाडर तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 363 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी हणमानाराम के स्थान पर सोनी देवी उर्फ श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी हनुमान प्रसाद दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/166 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p>



उपखण्ड अधिकारी,  
धोद जिला सीकर  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर

